बागपत पुलिस

मिशन शक्ति फेज-5.0 सराहनीय कार्य

दिनांक 27.09.25 को श्रीमती पूनम पत्नी वीनेश निवासी डूण्डाहैडा थाना खेकडा के मिशन शक्ति केन्द्र पर उपस्थित आकर अपने पति वीनेश पुत्र नकले निवासी डूण्डाहैडा थाना खेकडा जनपद बागपत के विरुद्ध शिकायत की कि वादिया का पति शराब पीकर वादिया के साथ मारपीट व गाली-गलौच करता है । वादिया अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है । थाना खेकडा पुलिस की महिला शक्ति केन्द्र में नियुक्त महिला अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा पीडिता की सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पीडिता के पति वीनेश को महिला शक्ति केन्द्र पर बुलाया गया। पीडिता व पति वीनेश के साथ महिला शक्ति केन्द्र में बैठाया काउन्सलिग करते हुए दोनो पक्षो का समझाया गया । वादिया अपने बच्चों के भविष्य के बारे सोचते हुए अपने पति के साथ जाने को राजी हो गयी तथा वीनेश भी खुशी - खुशी अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिये राजी हो गया। पीडिता को उसके पति के साथ खुशी - खुशी रवाना किया गया।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

बागपत पुलिस

मिशन शक्ति फेज-5.0 सराहनीय कार्य

उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी ' मिशन शक्ति' अभियान के तहत, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही मुहिम में पुलिस अधीक्षक बागपत के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली की मिशन शक्ति टीम उ0नि0 दीपशीखा व आरक्षी मनीषा द्वारा थाने के मु0अ0सं0 296/25 धारा 87/137(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अपहृताओं को जनपद गाजियाबाद से दिनांक 25-09-2025 को सकुशल बरामद किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र टीम उ0नि0 दीपशीखा व आरक्षीमनीषा को इस सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति प्रत्र प्रदान कर उज्जवल भविष्य की कामना की गई।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट दिनाँक-27.09.2025

थाना दोघट पुलिस एवं थाने की मिशन शक्ति टीम की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 224/25 धारा 109 /3(5) बीएनएस, 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा मु0अ0सं0 231/25 धारा 109(1) BNS, 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/25/27, 4/25 आर्म्स एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये ईनामिया अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस एवं थाना दोघट की मिशन शक्ति टीम की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर गौकश को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, एक पल्सर मोटरसाइकिल न0 UP 17 AB 3177 बरामद हुई हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 240/2025 धारा 109 (1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटनास्थल- कान्हड पुलिया के पास थाना दोघट,

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

औरंगजेब पुत्र शकील निवासी ग्राम पलडी थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त औरंगजेब का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 224/25 धारा 109 /3(5) bns 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत

2. मु0अ0स0 231/25 धारा 109(1) BNS, 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/25/27, 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत

3. मु0अ0स0 240/2025 धारा 109 (1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड) व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना दोघट जनपद बागपत

4.मु0अ0स0 220/24 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना दोघट जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, एक पल्सर मोटरसाइकिल न0 UP 17 AB 3177 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-म0उ0नि0 निकिता सिंह प्रभारी मिशन शक्ति केन्द्र थाना दोघट जनपद बागपत।

2-उ0नि0 बिरजू शर्मा थाना दोघट जनपद बागपत।

3.उ0नि0 श्री सुखपाल सिंह थाना दोघटजनपद बागपत।

4.है0का0 589 मैनपाल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।

5.है0का0 105 नीतू सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।

6.का0 1055 सुचेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

7.म0का0 776 सोनी थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी दिनाँक 27.09.2025

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान वांछित 10 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर अभियुक्त शहनवाज उर्फ चिल्ली को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय कारतूस तथा चोरी किये हुए 1450 रुपये नगद बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 23/2025 धारा 305,331(3),317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 54/2025 धारा 305,331(3) बीएनएस में वांछित 10 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर अभियुक्त शहनवाज उर्फ चिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस तथा मु0अ0सं0 23/2025 धारा 305,331(3), 317(2) से सम्बन्धित चोरी किये हुए 1450 रुपये नगद बरामद हुए है।

अभियुक्त से बरामद तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 131/25 धारा 3/25 आर्म्स-ACT पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शहनवाज उर्फ चिल्ली पुत्र जमील निवासी ग्राम मौ0 रिहान गार्डन थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तारी अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 257/2020 धारा 356 भादवि थाना परतापुर मेरठ

2-मु0अ0सं0270/2020 धारा 356 भादवि थाना परतापुर मेरठ
3-मु0अ0स0 276/2020 धारा 392,411 भादवि थाना परतापुर मेरठ
4-मु0अ0सं0 645/2020 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना परतापुर मेरठ
5-मु0अ0सं0 369/2020 धारा 394,411 भादवि थाना टीपीनगर मेरठ
6- मु0अ0सं0 445/2017 धारा 356,379 भादवि थाना टीपीनगर मेरठ
7-मु0अ0सं0 446/2017 धारा 379,411 भादवि थाना टीपीनगर मेरठ
8-मु0अ0सं0 113/2020 धारा 392 भादवि थाना कंकरखेडा मेरठ
9-मु0अ0सं0 175/2018 धारा 25 ए एक्ट थाना कंकरखेडा मेरठ
10मु0अ0सं0 23/2025 धारा 305,331(3),317(2) बीएनएस थाना बालैनी बागपत
11-मु0अ0सं0 54/2025 धारा 305,331(3) बीएनएस थाना बालैनी बागपत
12-मु0अ0सं0 131/25 धारा 3/25 आर्म्स-ACT थाना बालैनी, बागपत।
13-मु0अ0सं0 59/2019 धारा 3/25 ए एक्ट थाना बुढाना मुजफ्फरनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सोनू सिंह थाना बालैनी।
2-उ0नि0 श्री पंकज कुमार, थाना बालैनी।
3- है0का0 83 धर्मपाल सिंह थाना बालैनी।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 27.09.2025

थाना छपरौली पुलिस एवं मिशन शक्ति की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 48 पव्वे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस एवं मिशन शक्ति की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 48 पव्वे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुए है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध शराब तस्करी जैसे अपराध न करे यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू पुत्र तेजपाल सिह निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- **48 पव्वे अवैध देशी शराब।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना छपरौली बागपत।

2-उ0नि0 रविन्द्री थाना छपरौली बागपत।

3-म0है0का0 859 इन्दू यादव थाना छपरौली बागपत।

4-म0है0का0 844 राधा रानी थाना छपरौली बागपत।

5-है0का0 434 दीपक थाना छपरौली बागपत।

6-का0 1040 अजित कुमार थाना छपरौली बागपत।

7-म0का0 311 रोबिन रानी थाना छपरौली बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना साइबर क्राइम **दिनाँक 27.09.2025**

थाना साइबर क्राइम बागपत एवं मिशन शक्ति टीम की संयुक्त टीम ने साइबर पुलिस पोर्टल NCMEC से प्राप्त साइबर टिपलाइन रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित अश्लील वीडियो अपलोड एवं प्रसारित करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.09.2025 को गृह मंत्रालय भारत सरकार के साइबर पुलिस पोर्टल NCMEC से प्राप्त साइबर टिपलाइन रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए थाना साइबर बागपत पर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त रिपोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित अश्लील वीडियो अपलोड एवं प्रसारित करने का संज्ञान दिया गया था। जांच के क्रम में साइबर सेल बागपत द्वारा मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 साइबर क्राइम से प्राप्त समस्त प्रपत्रों, वीडियो एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि जोगेन्द्र पुत्र धर्मपाल निवासी धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जिला बागपत तथा संजीव कुमार पुत्र जगरोशन निवासी म0न0 12/321 मेहर पटटी गली न0 2 कोताना रोड कस्बा व थाना बडौत जिला बागपत के द्वारा उपरोक्त अपराध किया गया है, जो गंभीर एवं दण्डनीय अपराध है। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा सम्मान

को दृष्टिगत रखते हुए, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में थाना साइबर क्राइम व साइबर सेल बागपत द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुये उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुये थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा अपराध संख्या- 33/2025 धारा 13 पोस्को एक्ट व 67B IT Act पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के आदेशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के पर्यवेक्षण में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस एवं साइबर थाने की मिशन शक्ति टीम की संयुक्त कार्यवाही में शातिर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इस कार्यवाही में मिशन शक्ति केंद्र, थाना साइबर क्राइम व साइबर सैल बागपत की महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई गयी। महिला पुलिसकर्मियों ने संवेदनशील प्रकरण में न केवल त्वरित कार्यवाही की बल्कि बालिका एवं महिला सुरक्षा के प्रति मिशन शक्ति की प्रतिबद्धता को भी मजबूती प्रदान की।

बरामदगी का विवरणः-

- घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन व सिम।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1-जोगेन्द्र पुत्र धर्मपाल निवासी धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जिला बागपत
2-संजीव कुमार पुत्र जगरोशन निवासी म0न0 12/321 मेहर पटटी गली न0 02 कोताना रोड कस्बा व थाना बडौत जिला बागपत

घटना का अनावरण व गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक श्री बृजेश कुमार, प्रभारी साइबर थाना, बागपत।
2-निरीक्षक श्री कैलाशचन्द्र , प्रभारी साइबर सैल, बागपत।
3-निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह खोडा, थाना साइबर क्राइम, बागपत।
4-उ0नि0 श्री उपदेश शर्मा, साइबर सैल, बागपत।
5-का0 953 अंकुल , साइबर सैल , बागपत।
6-म0का0 356 कुन्ती, साइबर सैल, बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत   दिनांक 27.07.2025

थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 617/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुये 05 कट्टे VERKA SKIMMED MILK POWDER, एक बैटरा EXIDE, एक गाडी स्कार्पियो न0-UP 17- Z-7515 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.09.2025 को थाना कोतवाली बड़ौत पर वादी श्री विकास जैन पुत्र श्री रमेश चंद जैन निवासी गाँधी रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा वादी की गाडी स्कार्पियो न0 UP 17 Z 7515 B VEPRA MILK, पाऊडर के 5 बैंग एवं एक ट्रक की बैटरी चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बड़ौत पर मु0अ0सं0 617/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 617/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से चोरी किया हुये 05 कट्टे VERKA SKIMMED MILK POWDER, एक बैटरा EXIDE, एक स्कार्पियो गाडी न0 UP 17 Z-7515 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बी.एन.एस. की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शिवम पुत्र मान्गे राम निवासी करनपुर जट्ट थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

- **05 कट्टे VERKA SKIMMED MILK POWDER**
- **एक बैटरा EXIDE**
- **एक स्कार्पियो गाडी न0 UP 17 Z-7515**

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2. है0का0 633 रूस्तम भाटी थाना बडौत जनपद बागपत।

3. का0 647 प्रवीण थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनांक 27.09.2025

थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 618/25 धारा 115(2)/ 352/333/78 बी.एन.एस. 3(2)(VA) SC/ST Act में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 25.09.2025 को वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1. विकास पुत्र देवेन्द्र निवासी काशीराम कालोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा वादिनी के पुत्र के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर मारपीट करना तथा वादिया के घर में घुसकर जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये मारपीट करना व वादिया की पुत्री व परिवार का पीछा करना तथा अभियुक्त 2.पंकज पुत्र रतन सिंह निवासी बडौली रोड गली न06 कस्बा व थाना बडौत के द्वारा भी अभियुक्त विकास के सहयोग में वादिया की पुत्री व परिवार का पीछा करना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 618/25 धारा 115(2)/ 352/333/78 बी.एन.एस. 3(2)(VA) SC/ST Act पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 618/25 धारा 115(2)/ 352/333/78 बी.एन.एस. 3(2)(VA) SC/ST Act में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

विकास पुत्र देवेन्द्र निवासी काशीराम कालोनी बडौली रोड थाना बडौत जनपद बागपत उम्र 32 बर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बडौत, बागपत

2-है0का0 621 रवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3-है0का0 465 मनीष कुमार थाना बड़ौत, बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनांक 27.09.2025**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 238/25 धारा 305(ए)/317(2)/3(5) बीएनएस व मु0अ0सं0 307/25 धारा 303(2)/317(2)/3)(5) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुये एक स्टार्टर बॉक्स, केबिल के टुकडे, जला हुआ तांबे का तार, स्टार्टर का एक लोहे का पार्ट मय एक बैटरी EXIDE बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

1.दिनांक 14.08.2025 को थाना कोतवाली बिनौली बागपत पर वादी श्री तीर्थपाल s/o ओमे निवासी गढी दुल्ला थाना बिनौली बागपत ने सूचना दी कि वादी व अन्य किसानों निवासी ग्राम गढी दुल्ला, गांव बिनौली, गाँव शेखपुरा (1) बिरेन्द्र सिंह s/o सरोज सिंह, रामपाल s/o रामस्वरूप, साजिद s/o भूराखान, बोषिद्र s/o बलवीर, रविन्द्र s/o जयपाल, सुनील s/o जगबीर, बबलू s/o जगवीर, नरेन्द्र s/o सरोज, कर्मवीर s/o फेरू, बिलन्दर s/o धर्मवीर, अंकुश s/o हरबीर,रवि धामा s/o निरंजन कि ट्यूबवैलों से अज्ञात चोर द्वारा कटआउट, केबल, स्टार्टर किट व डोरी चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 238/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

2.दिनाँक 27.09.2025 को वादी श्री दीपक पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम पिचौकरा थाना बिनौली जनपद बागपत ने सूचना दी की मेरी गाडी अशोक लीलेण्ड बडा दोस्त से किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक्साईड सफेद कलर की बैटरी चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध

में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली मु0अ0सं0 307/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 238/25 धारा 305(ए) बीएनएस व मु0अ0सं0 307/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक स्टार्टर बॉक्स, 03 समरसेविल की बडी केबिल, 09 केविल के छोटे टुकडे ,एक स्काई ब्लू कलर की वायर, 04 कटआउट के टूटे टुकडे, जला हुआ तांबे रा तार लगभग 200 ग्राम, स्टार्टर का एक लोहे का पार्ट तथा एक बैट्री EXIDE बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बिनौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस व अन्य सहअभियुक्त होने के कारण धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि तथा अभियोग में उक्त व अन्य मुल्जिमान का नाम प्रकाश में आने की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपक पुत्र रोहताश निवासी जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- एक स्टार्टर बॉक्स,
- 03 समरसेविल की बडी केबिल,
- 09 केविल के छोटे टुकडे,
- एक स्काई ब्लू कलर की वायर,
- 04 कटआउट के टूटे टुकडे,
- जला हुआ तांबे रा तार लगभग 200 ग्राम,
- स्टार्टर का एक लोहे का पार्ट,
- एक बैट्री EXIDE

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना बिनौली बागपत।

2.उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली बागपत।
3. है0का0481 गुरदीप थाना बिनौली बागपत।
4.है0का0 714 रविन्द्र नागर थाना बिनौली , बागपत।
5. है0का0 440 राशिद खांन थाना बिनौली बागपत
6. है0का0 648 चोब सिंह थाना बिनौली बागपत।
7. है0का0 354 निलेश थाना बिनौली बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनांक 27.09.2025**

थाना बिनौली पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 306/25 धारा 333,74,115(2),352,351(3) BNS व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बिनौली पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बिनौली पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 306/25 धारा 333,74,115(2),352,351(3) BNS व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कुलदीप पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री निलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
2.उ0नि0 सुश्री शीलेश चौधरी थाना बिनौली जनपद बागपत
3. है 0का0 648 चोब सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
4.म0है0का0 868 प्रीति यादव थाना बिनौली जनपद बागपत।
5. है0का0 720 यशपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
6. म0का0 870 मनीषा पंवार थाना बिनौली जनपद बागपत।
7. म0है0का0 412 रजनी थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 27.09.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 279/25 धारा 74/115(2)/191(2) बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 279/25 धारा 74/115(2)/191(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त गिरफ्तारी के संबध में थाना रमाला पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाहरूख उर्फ पिल्ला पुत्र सत्तार निवासी ग्राम किरठल पट्टी ढिंगरान थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत
2-है0का0 332 कमल किशोर थाना रमाला जनपद बागपत
3-है0का0 886 अमित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत